पर्यटन विभाग
वार्षिक योजना
2016—17

बारहवी पंचवर्षीय योजना 2012—2017

	मूल	अद्यतन
राज्य योजना	33700.00 लाख	47210.00 लाख
तेरहवां वित्त आयोग	13500.00 लाख	13500.00 लाख
केन्द्र प्रवर्तित योजना	0.00 लाख	15000.00 लाख
	योग	**75710.00** लाख

2016—17

सामान्य योजना	रूपये 19310.00 लाख
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	रूपये 750.00 लाख
अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना	रूपये 0.00 लाख
कुल योग	**रूपये 20060.00 लाख**

Annual Plan : 2016-17

Department :- TOURISM

1. Presentation Sheet - Attached

2. Introduction:-

Madhya Pradesh is well known for its Biodiversity, vivid tourism attractions which include Nature, Splendour and Dense Forests which accommodate unparalleled wild-life, world heritage and historical monuments. For this reason Madhya Pradesh is also known as the Heart of India which is fully justified. The Natural and Eco-rich centres are Pachmarhi, Marbal Rocks, Vindhyachal hills, while Gwalior, Mandu and Orchha are of historical and archaeological significance. Madhya Pradesh has three world heritage sites namely; Sanchi, Khajuraho and Bhimbetika. The most important attractions are wildlife national parks which include world famous parks Kanha, Bandhavgarh and Pench tiger reserves.

Tourism is an important component for the progress of a country which contributes to its economical and social growth as well as provides major employment. Infact tourism is the biggest employment industry worldwide presently.

In addition to the above tourism sectors, the State also has many religious centres and pilgrimage sites which are visited by domestic tourists.

Having considered the above significant factors the State Government has given maximum emphasis for the development of infrastructure, basic amenities, hassle free connectivity including Air and good roads to encourage adventure and eco tourism in the State so that more Domestic and International tourists are attracted to the State.

3. Development leval of reference sector of M.P.with other States-

The State has undertaken the development of tourism facilities and basic infrastructure for promotion of world-wide tourism on war footing, which is being experienced by entire tourism industry in the country including private players and the feedback has been received from time to time appreciating the steps taken. In the State Budget provision for development of infrastructure and active publicity has been given a significant status by adopting an aggressive policy including the mega publicity campaigns world-wide. Madhya Pradesh has been ahead of other States in receiving Central Financial Assistance.

4. Annual Plan 2016-17

- **Target and objectives**

Vision Mission- To promote balanced and sustainable tourism which enables socio-economic development and to establish Madhya Pradesh as a destination that provides a complete tourism experience.

Strategy -Transparent guidelines and procedures shall be laid down to attract private investment.

- Necessary database shall be prepared and research conducted for destination marketing.
- Comprehensive feedback mechanism of tourist experience shall be developed.
- Development of basic infrastructure such as roads, drinking water, power, hygiene, transport, and solid waste management shall be ensured.
- "Special Tourism Zones" shall be notified and developed to encourage investment in identified areas.
- Highest priority shall be accorded to conservation and preservation of natural resources and beauty at eco-tourism destinations.
- Comprehensive plans shall be prepared for destinations of religious importance.
- Development of tourist facilities near water bodies shall be ensured.
- Efforts shall be made to provide enhanced air connectivity between major cities of the State.
- Necessary steps shall be taken to promote adventure tourism with the help of local administration and local bodies.
- A chain of budget hotels shall be set up at destinations of religious importance.
- Tourism Department shall ensure coordination of the concerned departments to promote Medical Tourism.
- "Tourism Plan" shall become an integral part of the Plans of various departments.
- To promote and develop heritage tourism.

Objectives -

- Set up an institutional mechanism to promote private investment.
- Set up an effective regulatory mechanism for sustainable tourism.
- Provide reception, assistance, information, amenities, hygiene, security and infrastructure for the tourists.
- Adopt the principle of "First Conservation Later Tourism" for Cultural Heritage sites.
- Make eco-tourism an effective tool to sensitize masses regarding environmental conservation.
- Ensure active and coordinated participation of Government departments, voluntary organizations, community and other stakeholders of tourism sector.
- Develop tourism through Public Private Partnership (PPP).

Goals/ Outputs / Outcome -

- Doubling the Number of Rooms in Madhya Pradesh.
- Income to be tripled in next years.
- Foreign Tourist arrivals to be doubled in next years.
- Training to be provided to 40,000 persons.
- Expressway to major destinations.
- National / International Travel Fairs / Events.
- Clean and Green Cities in Madhya Pradesh (at least 10 major cities).
- Use of Green Energy.
- Activities under Tourism Year 2015-16
- Private sector Investment Plan of 10000.00 Crs

• Problems and priorities

Madhya Pradesh, known as the "Heart of India", is truly blessed with unmatched tourist attractions. Its unique heritage, unparalleled wildlife, legendary religious centres, stunningly beautiful places of scenic beauty and colourful ethnic tribes with their traditional fairs & festivals, all combine together to make Madhya Pradesh a veritable tourist delight.

It is a fact, that, in Madhya Pradesh, a major chunk of domestic traffic comprises pilgrims; which is not at all surprising owing to the large number of pilgrimage centres in the State. Most of these Centres are also tourist destinations and attract normal tourists in sufficient numbers. The overall relatively smaller foreign tourist arrivals, as compared to some other States like Rajasthan, Goa or Kerala, are due to the fact that Madhya Pradesh is still perceived as a hinterland destination which lacks adequate connectivity. That perception however, is changing fast, and the State is now beginning to be envisioned as a front-line destination. The recent upgradation and expansion of tourist infrastructure and the vastly improved connectivity to/from the major centres of tourist interest is definitely the reason for this positive change.

The Government of Madhya Pradesh is extremely pro-active towards the growth of tourism in the State, and has initiated several measures to ensure that this tremendous potential is realized in a planned and systematic manner by putting into place a dynamic mechanism for encouraging investments in the tourism sector.

• Current status of programmes/schemes

The Department of Tourism has endeavoured to developed world class tourism infrastructure and facilities, promotion of Air connectivity, Eco & Adventure Tourism and Caravan Tourism, which are being effectively run and help in launching meaningful publicity campaigns.

Tourists Arrivals in M.P. During 12th Five Year Plan

During the 11th Five Year Plan period, there were 1424.96 lakhs tourist arrived at different tourist centres and places in Madhya Pradesh. Out of which 12.07 lakhs tourist (0.85%) were foreign and 1412.90 (99.15%) lakhs were domestic tourists.

Year-wise tourist arrivals during the 12th Five Year Plan period, in Madhya Pradesh is as given below:-

(Unit In lakhs)

S.No.	Year	Foreign	Domestic	Total
1	2012	2.76 (0.52%)	531.97 (99.48%)	534.73
2	2013	2.80 (0.44%)	631.11 (99.56%)	633.91
3	2014	3.16 (0.49%)	636.15 (99.51%)	639.31
4	2015	4.21 (0.54%)	779.76 (99.46%)	783.97

Income from Tourists

During the 12th Five Year Plan period, tourist division-wise annual income from tourists is as given below:-

(Rs. In lakhs)

S.No.	Unit	2012-13	2013-14	2014-15
1	Bhopal	2434.14	2616.25	2708.83
2	Indore	1028.30	1222.92	1552.10
3	Pachmarhi	973.85	1008.60	1244.54
4	Jabalpur	1792.71	1883.90	2098.83
5	Khajuraho	614.34	665.63	701.63
6	Gwalior	873.01	949.48	936.27
Total		**7716.35**	**8346.78**	**9242.20**

- **Proposal for future plan**

During annual plan 2016-17 following major activities have been earmarked as main targets:-

Under State Planning it is proposed to developed proper drinking water facilities, inter-connecting roads and electricity provisions to all tourism centres. Further work is being undertaken to provide tourism facilities as per the international standards to all visitors. Other initiatives include wide publicity campaign to attract youth for adventure tourism & religious tourism. The basic amenities are being developed on war footing at historical places.

The activities of the Department like Publicity & Promotion, Fairs & Festivals, Development of Tourist Circuits & MPSTDC Units and other schemes in the State will be performed during 2016-17 in accordance with objectives spelt out in the 12th Five Year Plan document which are as under:

- Increase in employment generation.
- Promote and market destinations within and outside India.
- Develop basic infrastructure at lesser known tourist locations.
- Develop eco-friendly and sustainable tourism facilities.
- Develop and promote eco and adventure tourism and
- Convert old palaces into Heritage Hotels under the Public Private Partnership scheme.

An outlay of Rs. 20060.00 lakh has been approved for Annual Plan 2016-17. Out of which Rs. 19310.00 lakh for Normal Plan and Rs. 750.00 lakh for TSP component. Allocation under various schemes for Annual Plan 2016-17 is given below:-

(Rs. in lakh)

S. No.	Name of Schemes	Normal Plan	TSP	Approved Outlay
1	Tourist Centres	400.00	100.00	500.00
2	Publicity	8000.00	--	8000.00
3	Festivals	1000.00	--	1000.00
4	State Share for Central Schemes/ Yatrikas etc.	100.00	--	100.00
5	Youth & Adventure Tourism	60.00	--	60.00
6	Training	250.00	50.00	300.00
7	Service Charges Land Disinvestment to process manager	100.00	--	100.00
8	Development of Travel Circuits	50.00	--	50.00
9	Reimbursement of Vat on ATF for air services	50.00	--	50.00
10	Reimbursement of Registration & Stamp duty for Establishment of New Heritage Units	0.00	--	0.00
11	Hotel Management Institute	1000.00	--	1000.00
12	Marketing offices	1000.00	--	1000.00
13	Renovation/maintenance of properties	1000.00	--	1000.00
14	Enterprises Resource Planning	250.00	--	250.00
15	International Convention Centre- Bhopal (ACA)	1000.00	--	1000.00
16	Infrastructure Development for Destinations and Circuits (CSS-o)	500.00	-	500.00
17	Capital Subsidy	1000.00	--	1000.00
18	Grant for Air Flight service	900.00	--	900.00
19	Grant for Conference Seminor etc.	50.00	--	50.00
20	Rural Tourism Development	1000.00	600.00	1600.00
21	Urban Tourism Development	1000.00	--	1000.00
22	Reimbursement to Investors	500.00	--	500.00
23	Establishment and Operation of SEL Show	100.00	--	100.00
	Total	**19310.00**	**750.00**	**20060.00**

During the plan period the State will participate in the National and International Travel Meets and Road Shows.

- **Proposed important Physical targets and financial achovment and main thurst –**

The Physical targets under major schemes/programmes for the annual plan, 2016-17 is presented below:-

S. No.	Name of Schemes	Unit	Proposed Physical Targets			
			Normal	**TSP**	**SCSP**	**Total**
1	Festivals	No.	21	-	-	21
2	Training	No. of person	1270	100	-	1370
3	Youth & Adventure Tourism	Boats Equpment Life jeket	421	-	-	421

- **New scemes :-**

During financial year 2016-17 the following new schemes are proposed:-

Sr.No.	Name of schems	Starting date	Design	Reason for inclusion in DS/SS.	Is schems beneficiary oriented	Approval copy from SFC.
1	Reimbursement to Investers (ID-12043),	**-**	**SS**	as per M.P.Tourism Policy 2010 (Ammended 2014) Reimbursement of various Taxes to Investers	**Yes**	**Attached**
2	Esteblishment and Operation of SEL Show (ID-12044)	**-**	**SS**	Esteblishment and Operational expenses of various SEL Shows	**No**	**Yet Not Approved**

5. Data Entry Sheets :- Attached.

-0-

वार्षिक योजना 2016–17

विभाग – पर्यटन

1– प्रस्तुतीकरण शीट – संलग्न है।

2– पृष्ठभूमि –

मध्यप्रदेश अपने अनुपम एवं विविधता पूर्ण पर्यटन आकर्षणों से किसी भी रूचि के पर्यटक का मन मोह लेने की क्षमता रखता है। इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाना कतई अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं हैं। प्रदेश में नैसर्गिक सौन्दर्य से भरपूर–पचमढ़ी, संगमरमरी चट्‌टानें, सतपुड़ा, विन्ध्याचल पर्वतमालायें, ऐतिहासिक एवं पुरातात्वीक महत्व के ग्वालियर, माण्डू, ओरछा, विश्व धरोहरें–साँची, भीमबैठका, खजुराहो, राष्ट्रीय वनोद्यान–कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच जैसे अद्वितीय आकर्षण उपलब्ध हैं।

पर्यटन किसी भी राष्ट्र की न केवल आर्थिक एवं सामुदायिक प्रगति का महत्वपूर्ण अंग है, वरन् किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में पर्यटन के माध्यम से सर्वाधिक रोज़गार के अवसर निर्मित होते हैं।

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थलों के अतिरिक्त भी प्रदेश के कोने–कोने में ऐसे पर्यटन आकर्षण हैं, जो धार्मिक क्षेत्रीय एवं स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

पर्यटन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति स्थापित करने के साथ–साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त साधन बन गया है। कई राष्ट्रों का मूल आर्थिक ढॉचा पर्यटन पर ही आधारित है।

पर्यटन के इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना का विकास किये जाने, आवागमन के लिए सुलभ कनेक्टिविटी के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों से वायु सेवा उपलब्ध कराये जाने, साहसिक, पर्यावर्णीय आदि पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने एवं अधोसंरचना निर्माण पर जोर दिया जा रहा है ताकि प्रदेश में अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो तथा प्रदेश की संस्कृति एवं विरासत की पहचान स्थापित हो सके।

3– अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भित सेक्टर का अपेक्षित विकास का स्तर :–

प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं एवं अधोसंरचना के विकास की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा रहे हैं, जिनका अनुभव पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायिओं के साथ–साथ जन–साधारण द्वारा भी न केवल अनुभव किया जा रहा है वरन् समय–समय पर विकास गति एवं कार्यों की सराहना भी की गयी है। प्रदेश के बजट में अधोसंरचना एवं प्रचार–प्रसार के लिए समुचित वृद्धि की जाकर आक्रामक रणनीति अपनायी जाकर प्रचार–प्रसार का गहन अभियान देश एवं विदेशों में किया गया।

4– विभागीय वार्षिक योजना 2016–17

- **लक्ष्य एवं उददेश्य्**

पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) के अनुसार शासन का विजऩ इस प्रकार हैः–

''संतुलित एवं सम्पोषणीय पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके।''

नीति के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यवाही बिन्दु निम्न सिद्धांतों पर आधारित हैः–

- ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।
- सम्पोषणीय पर्यटन के लिए प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो।
- पर्यटक स्वागत, सूचना सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना तथा सफाई के सभी उपाय हो।
- धरोहरों का पहले संरक्षण एवं बाद में पर्यटन उपयोग हो।
- पर्यावरणीय पर्यटन आम जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक हो।

- शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं समुदाय, पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों में समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।
- पर्यटक क्षेत्र में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का विकास हो।
- देश भर में पर्यटन क्षेत्र में राज्य की विशिष्ट पहचान बने इस दिशा में शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव का आयोजन किया जावे।
- कार्यक्रम व योजनाओं की गति दी जावे ताकि पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को उन्नत एवं नवीन रोजगार से जोड़ा जा सके।
- निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इंस्टीट्यूसनल मेकेनिज़्म तैयार करना।
- सस्टेनेबल पर्यटन के लिए रेगुलेटरी मेकेनिज़्म तैयार करना।
- पर्यटकों को स्वागत, सहायक, सूचना, सुविधाएं, स्वस्थवर्धक, सुरक्षा एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
- सांस्कृतिक विरासत हेतु ''पहले संरक्षण बाद में पर्यटन'' का सिद्धांत अपनाना।
- ईको पर्यटन का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा हेतु आम आदमी के लिए इस्तेमाल करना।
- शासकीय विभागों तथा वोलेन्ट्री ऑर्गेनाईजेशन्स, कम्युनिटी एवं सभी अन्य पर्यटन क्षेत्र के स्टेकहोल्डर में समन्वय स्थापित करना।
- पी0पी0पी0 के माध्यम से पर्यटन का विकास।
- प्रदेश में होटल कक्षों का दो गुना विस्तार
- अगले वर्षों में तीन गुनी आय
- आगामी वर्षों में विदेशी पर्यटकों की दोगुनी संख्या
- 40 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले/समारोह
- कम–से–कम 10 स्वच्छ–हरित नगर
- हरित ऊर्जा का प्रयोग
- पर्यटन वर्ष 2015–16 के कार्यक्रम
- 10 हजार करोड़ रूपए की निजी क्षेत्र निवेश योजना

- **समस्याएं एवं प्राथमिकताएं –**

मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान का दिल कहलाता है। उसमें अद्वितीय पर्यटक स्थल हैं, जिनमें ऐतिहासिक, वन्यजीव, धार्मिक पर्यटन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की अमूल्य देन है। इन जगहों में मूल निवासियों तथा आदिवासियों की सभ्यता अभी भी जीवन्त है तथा उनके पारम्परिक मेले, त्यौहार इत्यादि पर्यटन के लिए वृहद आकर्षण प्रदान करते है।

प्रदेश में पर्यटकों की मुख्य संख्या धार्मिक पर्यटन के रूप में होती है। क्योंकि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन केन्द्रों की संख्या काफी मात्रा में है अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। किन्तु धार्मिक पर्यटन स्थल होने के साथ–साथ इनमें दूसरे पर्यटन आकर्षण भी है, जिसके कारण विदेशी पर्यटक एवं दूसरे प्रदेशों के पर्यटक भी इन स्थानों का भ्रमण करते है। मध्यप्रदेश के बारे में पर्यटकों में यह धारणा है कि राजस्थान, गोवा एवं केरल की तुलना में प्रदेश में आवश्यक कनेक्टीविटी नहीं है, किंतु यह धारणा अब शनैः–शनैः परिवर्तित हो रही है और प्रदेश एक प्रमुख गन्तव्य पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। हाल ही में पूर्ण की गई पर्यटन परियोजनाएं एवं अधोसंरचना के विकास और कनेक्टीविटी को तकनीकी रूप से विकसित किए जाने से एक सकरात्मक बदलाव आया है।

मध्यप्रदेश शासन पर्यटन के उत्थान एवं विकास हेतु पूर्ण रूप से समर्पित है एवं शासन की ओर से वृहद पर्यटन विशेष नीतियां अपनाई गई है और सुनियोजित तथा व्यवस्थित तरीके से पर्यटन क्षेत्र में निवेश की योजना बनाई गई है, जो कि पर्यटन के विकास के डायनेमिक मेकेनिजम आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है।

- **योजनाओं की वर्तमान स्थिति**

विभाग द्वारा पर्यटन अधोसंचना का विकास, पर्यटक सुविधाओं का विकास, वायु सेवाओं का संचालन, केरेवान सुविधा, ईको एण्ड एडवेंचर गतिविधियां तथा प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों का प्रभावी रूप से प्रचार प्रसार आदि गतिविधियां संचालित की जाती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटक आगमन

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्यप्रदेश में पर्यटक आगमन की संख्या 1424.96 लाख थी जिसमें से 12.07 (0.85%) लाख विदेशी एवं 1412.90 (99.15%) लाख घरेलू पर्यटक थे।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटक आगमन का विवरण निम्नानुसार है

(संख्या लाख में)

S.No.	Year	Foreign	Domestic	Total
1	2012	2.76 (0.52%)	531.97 (99.48%)	534.73
2	2013	2.80 (0.44%)	631.11 (99.56%)	633.91
3	2014	3.16 (0.49%)	636.15 (99.51%)	639.31
4	2015	4.21 (0.54%)	779.76 (99.46%)	783.97

पर्यटक आगमन से आय

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्यटक आय का विवरण निम्नानुसार है

(Rs. In lakhs)

S.No.	Unit	2012-13	2013-14	2014-15
1	Bhopal	2434.14	2616.25	2708.83
2	Indore	1028.30	1222.92	1552.10
3	Pachmarhi	973.85	1008.60	1244.54
4	Jabalpur	1792.71	1883.90	2098.83
5	Khajuraho	614.34	665.63	701.63
6	Gwalior	873.01	949.48	936.27
Total		**7716.35**	**8346.78**	**9242.20**

- **भविष्य की योजनाओं के प्रस्ताव**

  वार्षिक योजना 2016–17 के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का लक्ष्य रखा जा रहा है:–

- अधोसंरचना के विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना की स्वीकृत परियोजनाओं में से प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण किया जाना, स्वदेश योजना एवं मेला उत्सव का आयोजन किया जायेगा।

राज्य आयोजना अंतर्गत पर्यटन केन्द्रों/इकाईयों का विकास,पर्यटकों को पीने के पानी की व्यवस्था, पर्यटन आकर्षण के स्थलों पर पहुँच मार्ग, विद्युत व्यवस्था तथा भूदृष्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं आदि के विकास कार्य किये जाना, प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मापदण्डों के अनुरूप पर्यटकों को स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, पर्यटन आकर्षणों का विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार, युवा एवं साहसिक गतिविधियों का बढ़ावा देना, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना।

विभाग की क्रियाकलाप जैसे– प्रचार–प्रसार, मेला एवं उत्सव, पर्यटन परिपथ, निगम की इकाईयों का विकास एवं अन्य योजनाएं वर्ष 2016–17 के उद्देश्य के अनुसार पूर्ण की जायेंगी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के डाक्युमेंट में निम्नानुसार वर्णित है :–

- रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- भारत एवं भारत के बाहर पर्यटन गन्तव्य स्थल का प्रचार–प्रसार।
- लघु स्तर के पर्यटन स्थलों पर मूलभूत अधोसंरचना विकसित करना।
- ईको–फ्रेन्डली एवं सस्टेनेबल टूरिज़्म की सुविधाओं का विकास।
- पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के माध्यम से पुराने स्थानों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करना।

वार्षिक योजना 2016–17 में विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमोदित योजना राशि निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (राशि लाख में)		
		सामान्य योजना	आदिवासी उपयोजना	योग
1	प्रत्येक जिलें के पर्यटन केन्द्रों का विकास (ID 598)	400.00	100.00	500.00
2	म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु अनुदान (ID 599)	8000.00		8000.00
3	म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन मनोरंजन एवं मेला उत्सव के लिए अनुदान (ID 600)	1000.00		1000.00
4	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य शासन का अंशदान (ID 603)	100.00		100.00
5	युवा एवं साहसिक कार्य हेतु सहायता (ID 605)	60.00		60.00
6	प्रशिक्षण (ID 606)	250.00	50.00	300.00
7	भू–विनिवेश हेतु सेवा प्रभार (ID 4001)	100.00		100.00
8	पर्यटन परिपथों का विकास (ID 604)	50.00		50.00
9	ईंधन के भुगतान वेट की प्रतिपूर्ति (ID 7033)	50.00		50.00
10	नई हेरिटेज इकाईयों के पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति (ID 7034)	00.00		00.00
11	होटल प्रबंध संस्थान (ID 7159)	1000.00		1000.00
12	मार्केटिंग कार्यालयों के स्थापना व्यय हेतु सहायता (ID 9046)	1000.00		1000.00
13	संपत्तियों के नवीनीकरण अनुरक्षण हेतु सहायता (ID 9047)	1000.00		1000.00
14	इण्टरप्राईजेज रिसोर्स प्लानिंग हेतु सहायता (ID 9048)	250.00		250.00
15	अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन सेन्टर भोपाल का निर्माण (ID 9229)	1000.00		1000.00
16	पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश)(ID 10153)	500.00		500.00
17	पूंजीगत अनुदान (ID 10154)	1000.00		1000.00
18	हवाई सेवाओं हेतु अनुदान (ID 11072)	900.00		900.00
19	पर्यटन निवेश संवर्धन,फिजिविलिटी अध्ययन एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अनुदान (ID 11073)	50.00		50.00
20	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु सहायता (ID 11074)	1000.00	600.00	1600.00
21	शहरी क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु सहायता (ID 11075)	1000.00		1000.00
22	निवेशकों को प्रतिपूर्ति (नवीन योजना)	500.00		500.00
23	साउण्ड एण्ड लाईट के स्थापना तथा चालन हेतु सहायता (नवीन योजना)	100.00		100.00
	योग :–	**19310.00**	**750.00**	**20060.00**

वार्षिक योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मीट एवं रोड शोज में भागीदारी की जावेगी।

- **नवीन योजनाएं :–**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नांकित योजनाओं के लिए नवीन मद प्रस्तावित हैं :–

Sr.No.	Name of schems	Starting date	Design	Reason for inclusion in DS/SS.	Is schems beneficiary oriented	Approval copy from SFC.
1	Reimbursement to Investers (ID-12043),	**-**	**SS**	as per M.P.Tourism Policy 2010 (Ammended 2014) Reimbursement of various Taxes to Investers	**Yes**	**Attached**
2	Esteblishment and Operation of SEL Show (ID-12044)	**-**	**SS**	Esteblishment and Operational expenses of various SEL Shows	**No**	**Yet Not Approved**

—0—

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 500.00 लाख

पर्यटन केन्द्रों का विकास (ID 0598)

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नांकित तीन योजनाएं पृथक–पृथक विद्यमान थी। दिनांक 08.01.2007 को राज्य योजना मण्डल की आयोजित बैठक में हुई चर्चा में लिये गये निर्णयानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन तीनों योजनाओं को समेकित कर एक ही योजना के रूप में रखा जाना था।

1– प्रत्येक जिले के पर्यटन केन्द्रों का विकास 2–पर्यटन परिपथों का विकास
3– पर्यटन इकाईयों का उन्नयन

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट में दिनांक 08.01.2007 को राज्य योजना आयोग से हुई चर्चानुसार इन्हें एक ही योजना के रूप में न मानते हुए पृथक–पृथक योजना ही दर्शायी गई है। अतः योजनावार वर्ष 2015–16 के मूल बजट में भी पर्यटन परिपथों के विकास विकास मद में पृथक प्रावधान प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय पर्यटन आकर्षणों के स्थलों पर जनसुविधाओं का विकास, विद्युत व्यवस्था भूदृष्यीकरण, सान्दर्यीकरण, बेंचेस एवं डे–शेल्टर आदि के कार्य क्रियान्वित जाते हैं। पर्यटन स्थलों पर जन सुविधाओं का विकास, विद्युत व्यवस्था, सौन्दर्यीकरण तथा भूदृष्यीकरण आदि कार्य किये जाना हैं। योजनान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं पूर्व में संचालित अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने तथा कुछ नवीन कार्य किये जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में पर्यटन विभाग की 72 इकाईयां तथा 14 बोट–क्लब कार्यरत हैं एवं 36 मार्ग सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 36 मार्ग सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो कि पर्यटकों को स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराती है पर्यटन केन्द्रों/परिपथों के विकास तथा बेहतर प्रचार–प्रसार के कारण प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः समय–समय पर इन इकाईयों का उन्नयन किया जाना आवश्यक होता है। इससे इन इकाईयों में आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतीकरण, आधुनिक परिवेश में किचन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का क्रय एवं चयनित पर्यटन स्थलों पर लाईट एवं साउण्ड शो का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

विजन–2018 के अनुसार विद्यमान इकाईयों में कक्षों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तदानुसार लगभग 200 कक्षों का निर्माण कार्य मय आंतरिक साज–सज्जा, लैण्डस्केपिंग, पाथवे, बाह्य विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास किए जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसी प्रकार नए पर्यटन गन्तव्य स्थलों का विकास यथा सैलानी आईलैण्ड, इन्दिरा सागर स्थित स्पोर्ट काम्प्लेक्स, निर्माणाधीन टी.आर.सी./टी.एफ.सी./स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, विभिन्न बजट होटलों आदि में आवास सुविधा, किचन इक्युपमेंट, आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतिकरण, अन्य पर्यटन केन्द्रों का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के पर्यटन केन्द्रों के विकास कार्य किए जाना है।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजना में रूपए 400.00 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रूपए 100.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपए 500.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 8000.00 लाख

म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रसार हेतु अनुदान (ID 0599)

पर्यटन के विकास तथा अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आकर्षित करने के लिए प्रचार–प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा समस्त प्रदेश के लिए पर्यटन से संबंधित प्रचार–प्रसार का संपूर्ण कार्य किया जाता है।

राज्य शासन द्वारा अपनी प्राथमिकताओं में आगामी वर्षो में प्रदेश में विदेशी पर्यटक संख्या में दुगुनी वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि न केवल प्रिंट मिडिया वरन् इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से भी सघन प्रचार की रणनीति बनायी जाकर तदनुरूप कार्यवाही की जावे। इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एक महंगा साधन हैं, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार के व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। मध्यप्रदेश के व्यापक क्षेत्रफल तथा यहॉ उपलब्ध पर्यटन आकर्षणों की वृहद संख्या को देखते हुए पर्यटन स्थलों के व्यापक, सघन एवं निरन्तर प्रचार–प्रसार किया जाना अति–आवश्यक है।

विगत वर्षो में प्रदेश में पर्यटक अधोसंरचना एवं पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि किए जाने हेतु केन्द्र शासन से परिपथ विकास, गन्तव्य विकास एवं ग्रामीण पर्यटन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वीकृत कराई जाकर इनका कियान्वयन किया जा रहा है। इन समस्त विकसित स्थलों पर अधिकाधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से गहन प्रचार–प्रसार किया जाना सामयिक आवश्यकता है।

प्रचार प्रसार के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों से संबंधित पर्यटन साहित्यों का हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन से जुडी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं यथा आयटो, टाई, एफ.एच.आर.आई.ए, पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनी, प्रदेश व देश के विभिन्न स्थलों पर रोड–शो आयोजित किये जाते है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों का अधिकाधिक विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से समय–समय पर पर्यटन से जुडे प्रख्यात, प्रतिष्ठित लेखकों, फोटोग्राफरों, ट्रेवल एजेन्ट, टूर आपरेटर्स आदि के फैम टूर आयोजित किये जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष लंदन तथा बर्लिन में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में शासन की स्वीकृति से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि के उद्देश्य से पर्यटन विभाग/ पर्यटन निगम द्वारा भागीदारी की जाती है।

निरंतर...

यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि तब होती है, जब प्रदेश में विद्यमान पर्यटन स्थलों का विवरण, पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधा आदि की जानकारी से प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर राज्यों, विदेशों से आने वाले पर्यटकों को विपणन कार्यालय के माध्यम से अवगत करायी जाती है। यह कार्य मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर संख्या में वृद्धि करने हेतु विदेशों में विशेषकर जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटली, यूके तथा यू.एस.ए में अन्तर्राष्ट्रीय रोड शोज़ का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय

प्रिन्ट डिजिटल तथा टी.वी में भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा। विभिन्न देशों में आयोजित होने वाले ट्रेवल मार्ट में अन्य प्रदेशों की भांति अलग से प्रदर्शिनी लगाकर मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार कर विदेशी ट्रेवल एजेंट्स एवं मीडिया को आकर्षित किया जाना भी प्रस्तावित है। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 8000.00 लाख का व्यय संभावित है।

पर्यटन वर्ष 2015–16 एवं सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अधिकाधिक देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आवागमन के लिए भी प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों, मेलों/ उत्सवों आदि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है।

अतएव मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में प्रचार–प्रसार को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिये सामान्य योजनान्तर्गत रू. 8000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है ।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन मनोरंजन एवं मेला उत्सव के लिए अनुदान (ID 0600)

प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने तथा स्थानीय क्षेत्र की नृत्य, संगीत, लोक–कला एवं इनसे जुड़े स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर समय–समय पर पर्यटन मेले एवं उत्सवों का आयोजन किया जाता है, ताकि इन पर्यटन उत्सवों के माध्यम से उस स्थान विशेष में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

वर्ष 2016–17 में पर्यटन वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, मेला एवं उत्सवों आदि का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 100.00 लाख

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में राज्य शासन का अंशदान (ID 0603)

भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मेगा परिपथ विकास, गन्तव्य विकास, परिपथ विकास एवं ग्रामीण पर्यटन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधायें विकसित किये जाने के लिए परियोजनायें स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय योजनाओं के स्वीकृत संबंधी भारत सरकार के मार्गदर्शी–निर्देश के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि की उपलब्धता, पुनर्वास, बाह्य अधोसंरचना जैसे– जल, बाह्य विद्युतीकरण, पहुॅच मार्ग, बाउन्ड्री बाल, फेंसिंग इत्यादि एवं उपकरणों के क्रय का भार राज्य शासन को वहन किया जाना होता है, जिसके लिए समुचित राशि राज्यांश के रूप में प्रावधानित की जाना आवश्यक होता है। वर्तमान में केन्द्र शासन से स्वीकृत मार्ग सुविधाओं, मेगा परिपथ विकास, मेगा गन्तव्य विकास एवं गन्तव्य विकास परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि, जल, बाह्य विद्युत प्रदाय, फर्निशिंग, फर्नीचर, पहुॅच मार्ग, बाउन्ड्री बाल, फेंसिंग इत्यादि के कार्य कराना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध एवं समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर निगम को सुपरविजन चार्जेस स्वीकृत किये जाते हैं।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस मद में सामान्य योजना के अंतर्गत रूपए 100.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 60.00 लाख

युवा एवं साहसिक कार्य हेतु अनुदान (ID 0605)

प्रदेश में पर्यटकों में रोमांचक पर्यटन को अधिक लोकप्रिय करने तथा जलक्रीड़ा से संबंधित सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ युवा एवं साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश में वर्तमान में अपर लेक बोट क्लब (भोपाल), सैर सपाटा, (भोपाल) तवा डेम (होशंगाबाद), हलाली डेम (रायसेन), जंगल रिसोर्ट, (उदयगिरि), बरगी (जबलपुर), तिगरा (ग्वालियर) तथा पर्यटक ग्राम–शिवपुरी, बेतवा रिट्रीट–ओरछा, अटल बिहारी रीजनल पार्क–इंदौर, चौरल–चौरल डेम आदि बोट क्लब इकाईयों एवं अन्य स्थानों में जलक्रीड़ा व रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों को उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ जलक्रीड़ा सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

जलक्रीड़ा सुविधाओं के साथ रोमांचक खेलों के क्षेत्र में अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देकर युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एडवेंचर ज़ोन विकसित किया जाकर अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से भी पैरासेलिंग, एअरो माडलिंग, ट्रेकिंग, कैम्पिंग माउन्टेनियरिंग तथा हाट एअर बेलूनिंग आदि साहसिक/रोमांचक गतिविधियों को संचालित किये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। जलक्रीडा, रोमांचक एवं साहसिक गतिविधियों के संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरणों जैसे– मोटरबोट, स्पीडबोट, जेटस्की, ओ0बी0एम0, क्रूज बोट, हाउसबोट, मिनी–क्रूज, विभिन्न प्रकार के पैरासेलिंग उपकरण, हीलियम बैलून, रॉक क्लाइबिंग, माउण्टेन बाईसिकिल आदि एवं बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जलक्रीड़ा/साहसिक कार्य गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ–साथ इसमें जन रूचि को जागृत करने के उद्देश्य से इन खेलों को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाना सामयिक आवश्यकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उपकरणों का क्रय एवं जिला पर्यटन संवर्धन इकाई के माध्यम से साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के कार्य किए जाते हैं।

पर्यटन विकास निगम के द्वारा मध्यप्रदेश के वृहत् जलाशयों में साहसिक गतिविधियों हेतु पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है जैसे कि ओंकारेश्वर में सैलानी में अंतर्राष्ट्रीय एक्वा स्की रिसोर्ट, इंदिरा सागर हनुवंतिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जलक्रीडा आयलैंड, कैंपिंग इत्यादि का संचालन किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इन स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मूला–1 बोट रेस, झील महोत्सव एवं ऐरो स्पोर्टस इत्यादि भी आयोजित किये जायेगे।

पर्यटन विकास निगम द्वारा सीमेनशिप ट्रेनिंग, ऐडवेंचर स्पार्टस ट्रेनिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐडवेंचर स्पोर्टस कांफ्रेंस का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।शासन की मंशा के अनुरूप पर्यटन क्षेत्र में युवाओं द्वारा अधिक से अधिक संख्या में रूचि लें, अतः युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रोमांचक/ साहसिक कार्य कराये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस मद में वर्ष 2016–17 के लिए सामान्य योजनान्तर्गत योजना सीमा राशि रूपए 60.00 लाख अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 300.00 लाख

प्रशिक्षण (ID 0606)

पर्यटन एक सेवा उद्योग है जिसका मूल मंत्र ''अतिथि देवो भवः'' है। इस भावना के साथ प्रदेश में आने वाले अतिथियों / पर्यटकों को समुचित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए यह अति आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों जैसे– गाईड्स, होटल व्यवसाय से जुड़े कर्मी, रेल्वे स्टेशनों पर कार्यरत पोर्टर्स/कुली, आटो रिक्शा–टैक्सी चालकों, होटल व्यवसाय से जुड़े कर्मियों को आधुनिक बदलते परिवेश के अनुरूप नई विधाओं की जानकारी उपलब्ध हो सके इसके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाना अति–आवश्यक है। इसी प्रकार कौशल विकास के दृष्टिकोण से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत शासन द्वारा भी निरन्तर इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने के लिए आग्रह किया जाता रहा है। कार्यकुशल कर्मियों की कमी को देखते हुए विभाग द्वारा निगम के अन्तर्गत ''एम0पी0 स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ हॉस्पिटिलिटि ट्रेनिंग'' भोपाल, होटल प्रबंध संस्थान इन्दौर, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जबलपुर एवं रीवा की स्थापना भी पर्यटन विभाग म0प्र0 शासन द्वारा इसी उद्येश्य से की गई है जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हर विधा के सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी एवं अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी गत वित्तीय वर्ष से की जा रही है।

वर्ष 2016–17 में पर्यटन निगम के अन्तर्गत संचालित इकाइयों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रबंधकीय/वित्त/आई0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजना में रूपए 250.00 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रूपए 50.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपए 300.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 100.00 लाख

भू–विनिवेश हेतु सेवा प्रभार (ID 04001)

राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विनिवेश को प्रोत्साहन हेतु भू–विनिवेश की महती भूमिका है। देश–विदेश से राज्य में निजी–निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु रोड–शो किए जाने से ग्लोबल इन्वेस्ट मीट की तर्ज पर

पर्यटन क्षेत्र में निजी–निवेशकों को बढ़ाया जा सकेगा। राज्य की अर्थ व्यवस्था में पर्यटन की भागीदारी बढ़ाए जाने हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन एवं व्यवसायिक सलाहकारों की नियुक्ति आवश्यक है।

प्रदेश की पर्यटन नीति–2010 (यथा संशोधित–2014) में उल्लेखित उद्येश्यों की पूर्ति व पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी गयी भूमियों के निवर्तन किए जाने की प्रक्रिया **''शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निर्वतन नीति 2008''** (यथा संशोधित–2014) के अन्तर्गत निर्धारित है। उक्त नीति के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की ओर से समस्त कार्यवाही जैसे भूमि निवर्तन, व्यावसायिक सलाहकारों का चयन, निविदायें आमन्त्रित करना एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रोसेस मैनेजर नियुक्त किया गया है।

''शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निर्वतन नीति 2008'' (यथा संशोधित–2014)के अनुसार भूमि निर्वतन के प्रत्येक मामले में प्रासेस मेनेजर के बतौर निगम को उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए एक निश्चित राशि सेवा शुल्क के बतौर रूपए 10.00 लाख राज्य सरकार से प्राप्त होगी। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 100.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 50.00 लाख

पर्यटन परिपथों का विकास (ID 604)

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नांकित तीन योजनाएं पृथक–पृथक विद्यमान थी। दिनांक 08.01.2007 को राज्य योजना मण्डल की आयोजित बैठक में हुई चर्चा में लिये गये निर्णयानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन तीनों योजनाओं को समेकित कर एक ही योजना के रूप में रखा जाना था।

1– प्रत्येक जिले के पर्यटन केन्द्रों का विकास 2–पर्यटन परिपथों का विकास

3– पर्यटन इकाईयों का उन्नयन

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के बजट में दिनांक 08.01.2007 को राज्य योजना आयोग से हुई चर्चानुसार इन्हें एक ही योजना के रूप में न मानते हुए पृथक–पृथक योजना ही दर्शायी गई है। अतः योजनावार वर्ष 2015–16 के मूल बजट में भी पर्यटन परिपथों के विकास विकास मद में पृथक प्रावधान प्रस्तावित है।

केन्द्र शासन से स्वीकृत परिपथ विकास योजनाओं के अन्तर्गत एक विशेष क्षेत्र में स्थित (सर्किट) पर्यटन स्थलों के विकास हेतु आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इन स्थलों के विकास के साथ–साथ इन स्थलों के निकटवर्ती क्षेत्रों एवं अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधायें जैसे– पहुंच मार्ग, पार्किंग, लैंड स्केपिंग, सौन्दर्यीकरण, जन सुविधायें, साइनेजेस आदि उपलब्ध कराये जाकर पर्यटकों को इन स्थलों का भ्रमण करने हेतु प्रेरित किये जाने से, इन स्थलों पर स्थानीय रोजगार एवं सामुदायिक विकास के अवसरों में वृद्धि होगी। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 50.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 50.00 लाख

ईधन के भुगतान वेट की प्रतिपूर्ति (ID 7033)

प्रदेश को वायु सेवा से जोडने के संबंध में नीति 2014 के अनुसार राज्य शासन ने प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए निजी प्रचालकों (Private Operators) के माध्यम से वायुसेवा संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। उक्त नीति के अनुसार ऐसी उडान जो अनुबंध के अनुसार संचालित होगी के उपयोग में आने वाले ईधन (Aviation fual) पर वेट (VAT) की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा आपरेटर के साथ किये गये एमओयू की अवधि तक इस शर्त पर की जावेगी कि, आपरेटर द्वारा ईधन का क्रय प्रदेश से किया जावेगा तथा ईधन के भुगतान के लिए पर्यटन विभाग के बजट में प्रावधान किया जायेगा।

इस संबंध में निजी प्रचालकों के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुरूप वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा (Claim) प्रतिमाह प्राप्त देयकों के आधार पर किया जायेगा। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 50.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 0.00 लाख

नई हेरिटेज इकाईयों की स्थापना पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति (ID 7034)

प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2002 में राज्य शासन ने हेरिटेज टूरिज्म नीति लागू की थी। इस नीति के तहत विरासत महत्व के भवनों/ किलों/ महलों की भारत शासन के पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों तथा नियमों के अनुसार हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने वाले निजी निवेषकों को राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज सबसिडी प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया था।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति, 2010(संशोधित 2014) लागू की गई है। उक्त नीति में पूर्व में प्रावधानित ब्याज सबसिडी को समाप्त किया गया है। अतएव हेरिटेज होटल हेतु सबसिडी के लिए कोई प्रावधान रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई पर्यटन नीति में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान रखा गया है :–

''नई हेरिटेज पर्यटक परियोजना की स्थापना के लिए प्रश्नाधीन हैरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हैक्टर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू–भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देना होगा।''

उक्त योजना के अनुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारम्भ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।'' उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित **''निवेशकों को प्रतिपूर्ति''** नवीन योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है।

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

होटल प्रबन्धन संस्थान (ID 7159)

भारत सरकार द्वारा राज्य होटल प्रबंध संस्थान–इन्दौर, फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट–जबलपुर एवं रीवा हेतु राशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश इन्स्टीट्यूट आफ हॉस्पेटेलिटी प्रशिक्षण, भोपाल में स्थापित हैं। इन संस्थानों (भोपाल को छोड़कर) की स्थापना हेतु भवन के लिए राशि केन्द्र शासन से स्वीकृत की गई है। राज्य होटल प्रबंध संस्थान इंदौर भवन एवं फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट–जबलपुर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है परन्तु रीवा के भवन का निर्माण अन्तिम चरण में है। इन संस्थानों के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहायता दी जाना नितान्त आवश्यक है। इस योजना अन्तर्गत संस्थानों के वेतन भत्ता, भवनों का किराया एवं कार्यालय स्थापना व्यय/साफ सफाई व्यवस्था, किचन सामग्री, विद्युत सामग्रियां, प्रशिक्षण सामग्री एवं उपकरण, पुस्तकें, प्रशिक्षणार्थियों के भोजन व्यवस्था, प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षणार्थियों को वर्दीयों आदि का व्यय निहित रहेगा।

अतएव वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

मार्केटिंग कार्यालयों के स्थापना व्यय हेतु सहायता (ID 9046)

वर्तमान संदर्भ में अपने उत्पादों के विपणन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाकर जन–मानस को अपने उत्पादों की जानकारी एवं विशिष्टताओं से अवगत कराया जाना है। प्रदेश में विगत वर्षों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके सार्थक प्ररिणाम प्राप्त हुए है। प्रदेश में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश शासन का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में न केवल् प्रदेश को प्रथम गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित कर दिया जाये अपितु प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि किये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यमों से प्रदेश के आकर्षणों का व्यापक प्रचार–प्रसार, अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पर्यटन से संबंधित मेलों/ उत्सवों में निरंतर भागीदारी, देश एवं विदेश में रोड़–शो आयोजित किये जाने, प्रचुर मात्रा में पर्यटन साहित्य का प्रकाशन कर वितरण किये जाने के लिए **प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थापित मार्केटिंग कार्यालयों** को सुदृढ़ किया जाये। उक्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन–भत्ते एवं स्थापना व्यय हेतु वर्तमान में उक्त योजना संचालित है। इससे इस योजनान्तर्गत स्थापित कार्यालयों के स्थापना व्यय, वेतन भत्ते का भुगतान किया जाता है।

अतएव इस योजना के लिए वर्ष 2016–17 में सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

सम्पत्तियों के नवीनीकरण/अनुरक्षण हेतु सहायता (ID 9047)

प्रदेश में विगत वर्षों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए है। प्रदेश में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश शासन का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में न केवल प्रदेश को देश के प्रथम गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित कर दिया जाये वरन् प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में दो गुनी वृद्धि किये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। पर्यटन विभाग द्वारा विगत वर्ष्रों में पर्यटकों को स्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु समय समय पर विभिन्न सम्पत्तियां निर्मित एवं अन्य विभागों से अर्जित की गयी हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर समय समय पर निर्मित/अर्जित परिसंपत्तियों के समय समय पर अनुरक्षण, पुनर्नवीनीकरण न होने के कारण संपत्तियों के जीर्ण–क्षीर्ण होने की संभावना होगी। अतः समय समय पर उनका अनुरक्षण/उन्नयन होना आवश्यक है। उपरोक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 2013–14 में संपत्तियों का नवीनीकरण/अनुरक्षण के लिए अनुदान (नवीन मद) के रूप में सम्मिलित किया गया है एवं आगामी वर्षो में भी इस मद की आवश्यकता निरंतर होगी। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव इस योजना के लिए वर्ष 2016–17 में सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 250.00 लाख

इंटरप्राईजेस रिसोर्स प्लानिंग हेतु साहायता (ID 9048)

पर्यटन विभाग की समस्त गतिविधियां पर्यटन निगम के माध्यम से संचालित होती है। वर्तमान में उद्यमिता संसाधनों की योजना हेतु संगठन की सीमाओं के अंदर सभी व्यवसायिक कार्यों के बीच सूचनाओं के प्रवाह की सुविधायें/सूचना प्रौद्योगिकीय प्रणाली उपलब्ध नही है। इस प्रकार की सूचनाएं एक विकसित सॉफ्टवेयर इंटरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं। उक्त परियोजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैः—

- इस प्रणाली के माध्यम से विभाग को महत्वपूर्ण जानकारी एवं डाटा उपलब्ध कराना।
- अन्य प्रणाली के साथ एकीकरण होना।
- अधिक से अधिक लाभ अर्जित करेन में मदद मिलना।
- निर्णय कौशल में सुधार।
- वर्तमान में होने वाले व्यय में कमी।
- जिला पर्यटन संवर्धन इकाईयों को सुदृढ़ किया जाना।

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का निर्माण कार्य निहित नहीं है। योजना का क्रियान्वयन शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 में राशि रूपए 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव इस योजना के लिए वर्ष 2016—17 में सामान्य योजनान्तर्गत रूपए 250.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेंन्टर का निर्माण (ID 9229)

भारत सरकार योजना आयोग (राज्य योजना प्रभाग) के ज्ञाप क्रमांक एम 13022/11/2013–एसपीसी, दिनांक 26.8.2013 के अनुसार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए वार्षिक योजना 2013–14 में एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रूपये 930.00 लाख की स्वीकृत प्रदान की गई है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि रूपये 3100.00 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें से केन्द्रांश राशि 930.00 लाख एवं राज्यांश राशि 2170.00 लाख है।

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य भोपाल स्थित होटल ''मिण्टो हॉल'' परिसर में किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त निर्माण कार्य दो वर्ष में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उक्त कार्य वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं हुआ है और न ही इस योजना पर कोई व्यय हुआ है। भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतएव भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के सामान्य योजनान्तर्गत लिए वर्ष 2016–17 में रूपए 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016—17

रूपए 500.00 लाख

पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश) (ID 10153)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के साथ केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जो मापदण्ड बनाये जाकर निम्नानुसार केन्द्रीय सहायता दिया जाना निर्धारित किया है :—

1— डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, 2— सर्किट डेवलपमेंट,
3— रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट, 4— मेगा परिपथ विकास

उपरोक्त सभी परियोजनाओं में केन्द्र शासन द्वारा शत—प्रतिशत योगदान दिया जाता है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सहायता की राशि राज्य के खाते में जमा की जाती है। तत्पश्चात राज्य शासन, पर्यटन विभाग के बजट मद में इसका प्रावधान कर समय समय पर इसका भुगतान किया जाता है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत परियोजनाओं में प्रथतः परियोजना की स्वीकृत राशि एकाधिक किश्तों में उपलब्ध करायी जाती है। इससे केन्द्र शासन से सहायता राशि के उपलब्धता के आधार पर ही राज्य बजट में प्रावधान संभव होता है ।

उक्त प्रयोजन के लिये वित्तीय वर्ष 2015—16 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत होने वाली योजनाओं एवं विगत वर्षों की स्वीकृत योजना की बकाया किश्तों की राशि भारत शासन द्वारा पीआईडीडीसी योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता बंद कर दी गई हैं। उक्त स्वीकृत योजनाओं के प्रगतिरत् कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016—17 में संभावित व्यय राशि रूपए 500.00 लाख होगी।

अतः वर्ष 2016—17 में इस योजना के लिए सामान्य योजना में रूपए 500.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

पूंजीगत अनुदान (ID 10154)

मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति–2010 (संशोधित–2014) के संदर्भ में म0प्र0 शासन पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों को निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान का भुगतान किया जावेगाः–

1. <u>हेरिटेज होटल हेतु पूंजीगत अनुदान –</u> निजी स्वामित्व वाले भवनों को यदि भवन स्वामी अथवा अन्य निवेशक द्वारा हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित किया जाता है तो उसके द्वारा किये गए पूंजीगत व्यय का 35 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जावेगा, जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है। पूंजीगत व्यय का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा रू. 1.50 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 1.50 करोड़ होगी।

2. <u>बजट होटल हेतु अनुदान –</u>

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थल में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशको को निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा :–

1. <u>विभाग के लैण्ड बैंक पर निर्माण की स्थिति</u> :– पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत का अनुदान अथवा रू. 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो अर्थात व्यय पर अधिकतम सीमा रू. 50.00 लाख होगी। विभागीय भूमि के अप–सेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
2. <u>निवेशक द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण की स्थिति</u> :–पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत का अनुदान अथवा रू. 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूंजीगत व्यय पर अधिकतम सीमा रू. 50.00 लाख होगी। ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
3. बजट होटल के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि होटल में कम–से–कम 25 अथवा उससे ऊपर कक्षों का निर्माण किया गया।
4. डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि डॉरमेट्री में कम–से–कम 50 बिस्तर उपलब्ध हों।

निरंतर..

5. राज्य शासन समय–समय पर प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थलों को अधिसूचित कर सकेगी।

3. होटल/रिसॉर्ट हेतु अनुदान – प्रदेश के कुछ चुनिन्दा पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को होटल/रिसार्ट निर्माण करने हेतु पूॅजीगत व्यय पर निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा :–

1. रूपए 03.00 करोड़ के व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख।

2. रूपए 03.00 करोड़ से 05.00 करोड़ तक 20 प्रतिशत, न्यूनतम रू. 75.00 लाख से अधिकतम रू. 1.00 करोड़।
3. रूपए 05.00 करोड़ से अधिक व्यय पर 15 प्रतिशत, न्यूनतम रू. 1.00 करोड़ से अधिकतम रू 1.50 करोड़।
4. राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस प्रयोजन के लिए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित किया जा सकेगा।

4. कन्वेंशन सेन्टर हेतु अनुदान –

इस हेतु भोपाल, इन्दौर में प्राथमिकता आधार पर बड़े अर्थात 1000 से अधिक क्षमता वाले एवं जबलपुर, ग्वालियर में मध्यम स्तर के अर्थात 500 से अधिक क्षमता के कन्वेंशन सेंटर बनाए जायेंगे। 500 अथवा उससे अधिक क्षमता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण करने पर निवेशक को पूंजीगत व्यय (जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है) का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रू. 10.00 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रूपए 10.00 करोड़ होगी। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना के लिए सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 900.00 लाख

हवाई उडान सेवा हेतु अनुदान (ID 11072)

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन उपरांत आदेश क्रमांक एफ 10–9/2010/तैंतीस, दिनांक 04/10/2014 द्वारा "प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने के संबंध में नीति 2014" मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10/10/2014 के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के संबंध में नीति निर्धारित की गई है।

उक्त नीति के पैरा 5 के अनुसार, निजी ऑपरेटर वित्तीय निविदा में प्रति घंटा उड़ान अनुदान की दरें प्रस्तुत करेंगें। निजी ऑपरेटर को प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान सेवा तथा प्रदेश के एक शहर से दूसरे प्रदेश के एक शहर की उड़ान के लिये प्रतिमाह अनुदान देय होगा। ऑपरेटर द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत देयकों पर उक्त अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जब ऑपरेटर कुल उड़ानों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रदेश के अन्दर तथा अधिकतम 40 प्रतिशत प्रदेश के बाहर संचालित करेगा। किन्तु निजी ऑपरेटर को मध्यप्रदेश के बाहर स्थित दो शहरों की बीच की उड़ानों के लिये अनुदान देय नहीं होगा।

उक्त नीति के पैरा 6 के अनुसार, विभाग द्वारा उपरोक्तनुसार अनुबंधित वायुसेवा हेतु प्रति घंटे उड़ान की अनुदान दरें निविदा के द्वारा प्राप्त की जायेगीं, जिसकी अधिकतम अनुदान सीमा प्रतिमाह रु. एक करोड़ की होगी। भविष्य में अनुदान की सीमा को वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 900.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 50.00 लाख

सेमीनार सम्मेलन आदि के लिए अनुदान (ID 11073)
(बजट शीर्ष 1253–पर्यटन निवेश संवर्धन, फिलिबिलिटी अध्ययन एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अनुदान)

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित –2014) में निजी निवेशकों को भूमि आबंटन, विशेष पर्यटन क्षेत्रों में विशेष रियायतें, कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण, बजट होटलों के निर्माण, होटल/रिसोर्ट हेतु अनुदान, हेरिटेज होटल के निर्माण में अनुदान का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार नयी हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट का प्रावधान है।

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन तथा निवेश एवं नए पर्यटन क्षेत्र/ गन्तव्य स्थान, नए पर्यटन सेक्टर को चिन्हित करने एवं उनके विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए सलाहकारो की नियुक्ति आवश्यक है। इससे सलाहकारों को मानदेय, विज्ञापन व्यय एवं निवेश हेतु समय–समय पर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर सेमीनार, सम्मेलन एवं रोड–शोज के आयोजन आदि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अनेकों निवेशकों द्वारा प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत निजी निवेश की रूचि अभिव्यक्त की गई है। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 50.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1600.00 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास हेतु सहायता (ID 11074)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन आकर्षणों के स्थलों पर जनसुविधाओं का विकास, विद्युत व्यवस्था भूदृष्यीकरण, सोन्दर्यीकरण, बेंचेस एवं डे–शेल्टर आदि के कार्य तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं एवं जन–प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन कार्य किये जाना आवश्यक है।

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विभाग की 72 इकाईयां तथा 14 बोट–क्लब कार्यरत हैं एवं 36 मार्ग सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 36 मार्ग सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो कि पर्यटकों को स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि प्रदेश में ज्यादा–से–ज्यादा देशी/विदेशी पर्यटक आगमन को एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। पर्यटन केन्द्रों/परिपथों के विकास तथा बेहतर प्रचार–प्रसार के कारण प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यटन इकाईयों का उन्नयन किया जाना आवश्यक होता है। इससे इन इकाईयों में आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतीकरण, आधुनिक परिवेश में किचन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों पर व्यय एवं चयनित पर्यटन स्थलों पर लाईट एवं साउण्ड शो के निर्माण कार्य भी किये जाने की आवश्यकता है।

विजन–2018 के अनुसार विद्यमान इकाईयों में कक्षों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तदानुसार पर्यटन इकाईयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य मय आंतरिक साज–सज्जा, लैण्डस्केपिंग, पाथवे, बाह्य विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास किए जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसी प्रकार नए पर्यटन गन्तव्य स्थलों का विकास, निर्माणाधीन टी.आर.सी./टी.एफ.सी./स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, विभिन्न बजट होटलों आदि में आवास सुविधा, किचन इक्युपमेंट, आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतीकरण तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्रों का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपए 2100.00 लाख का व्यय संभावित है।

उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य योजना में राशि रूपए 1000.00 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रूपए 600.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू 1600.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना मद

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 1000.00 लाख

शहरी क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास हेतु सहायता (ID 11075)

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यटन आकर्षणों के स्थलों पर जनसुविधाओं का विकास, विद्युत व्यवस्था भूदृष्यीकरण, सोन्दर्यीकरण, बेंचेस एवं डे–शेल्टर आदि के कार्य तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं एवं जन–प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण कार्यों के कियान्वयन कार्य किये जाना आवश्यक है।

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विभाग की 72 इकाईयां तथा 14 बोट–क्लब कार्यरत हैं एवं 36 मार्ग सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 36 मार्ग सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो कि पर्यटकों को स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि प्रदेश में ज्यादा–से–ज्यादा देशी/विदेशी पर्यटक आगमन को एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। पर्यटन केन्द्रों/परिपथों के विकास तथा बेहतर प्रचार–प्रसार के कारण प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः समय–समय पर शहरी क्षेत्रों की पर्यटन इकाईयों का उन्नयन किया जाना आवश्यक होता है। इससे इन इकाईयों में आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतीकरण, आधुनिक परिवेश में किचन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों पर व्यय एवं चयनित पर्यटन स्थलों पर लाईट एवं साउण्ड शो के निर्माण कार्य भी किये जाने की आवश्यकता है।

विजन–2018 के अनुसार विद्यमान इकाईयों में कक्षों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तदानुसार पर्यटन इकाईयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य मय आंतरिक साज–सज्जा, लैण्डस्केपिंग, पाथवे, बाह्य विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास किए जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसी प्रकार नए पर्यटन गन्तव्य स्थलों का विकास, निर्माणाधीन टी.आर.सी./टी.एफ.सी./स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, विभिन्न बजट होटलों आदि में आवास सुविधा, किचन इक्युपमेंट, आंतरिक साज–सज्जा एवं बाह्य विद्युतीकरण तथा अन्य शहरी क्षेत्रों के पर्यटन केन्द्रों का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 1000.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016–17

रूपए 500.00 लाख

निवेशकों को प्रतिपूर्ति (नवीन मद)

मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति–2010 (संशोधित–2014) के संदर्भ में म0प्र0 शासन पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों को निम्नानुसार प्रतिपूर्तियों का भुगतान किया जावेगा :–

विलासिता कर में छूट :–

- नियम 6.1 के अनुसार किसी भी होटल में उपलब्ध कराई गई रूपए 3000/– के कक्ष किराये पर विलासिता कर का देय नहीं है।
- नियम 7.1 के अनुसार दिनांक 01.06.2000 के बाद प्रदेश में निर्मित नये हेरिटेज होटलों को विलासिता में 10 वर्ष के लिए छूट की पात्रता।

मनोरंजन कर में छूट :–

- नियम 13.1 के अनुसार नये पर्यटक परियोजनाओं में मनोरंजन के स्थाई साधनों पर मनोरंजन कर की 10 वर्ष तक तथा अस्थाई स्वरूप से साधनों पर 6 वर्ष की अवधि तक छूट दी जायेगी।

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट :–

- नियम 14.1 के अनुसार नई हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

परिवहन कर में छूट :–

- नियम 15 के अनुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22–45–2005/आठ दिनांक 22/11/2005 के अनुसार विनिर्दिष्ट पर्यटन मार्गों पर पर्यटन आपरेटरों के यानों को मोटरयान कर से दो वर्ष के लिए छूट दी जाती है।

व्यपवर्तन टैक्स :–

- नियम 17 के अनुसार पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने से भूमि व्यपवर्तित मानी जाती है, जिस पर डायवर्सन शुल्क देयक होता है। नई पर्यटन परियोजनाओं के प्रकरण में अथवा पुरानी स्थापित परियोजनाओं के द्वारा नई भूमि अर्जित कर परियोजना का विस्तार करने एवं हेरिटेज होटल के निर्माण में उससे जुडी भूमि के व्यपवर्तन होने पर देय वार्षिक डायवर्सन प्रीमियम/शुल्क की दर 20प्रतिशत होगी।

विद्युत संबंधी सुविधाएं :–

- नियम 19.1 के अनुसार केप्टिव पॉवर प्लाण्ट स्थापित करहने वाले हेरिटेज होटलों तथा अन्य पर्यटक परियोजनाओं को विद्युत उपकर से शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी।

विशेष पर्यटन क्षेत्र में सुविधाए :–

- नियम 27.1 के अनुसार भूमि के क्रय विक्रय के संव्यवहारों पर देय समस्त पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क से छूट रहेगी। यह छूट परियोजना प्रारम्भ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

निरंतर...

- नियम 27.2 के अनुसार मनोरंजन एवं विलासिता कर से पूर्ण छूट दी जायेगी।
- नियम 27.3 के अनुसार एफएल–2/3/क्लब लायसेंस में प्रचलित फीस में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- नियम 27.4 के अनुसार व्यपवर्तन प्रीमियम तथा शुल्क से छूट रहेगी।

- नियम 27.5 के अनुसार विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थापित पर्यटक परियोजनाओं में रूकने वाले पर्यटकों के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जा रहे वाहनों को परिवहन करों से पांच वर्ष की अवधि तक शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार छूट की राशि विभाग द्वारा निवेशकों को प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना सम्मिलित नहीं है एवं उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में नवीन मद के रूप में सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 500.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।

आयोजना(अंतिम)

वार्षिक योजना 2016—17

रूपए 100.00 लाख

साउण्ड एण्ड लाईट के स्थापना तथा चालन हेतु सहायता (नवीन मद)

मध्यप्रदेश अपने अनुपम एवं विविधता पूर्ण पर्यटन आकर्षणों से किसी भी रूचि के पर्यटक का मन मोह लेने की क्षमता रखता है। इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाना कतई अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं हैं। प्रदेश में नैसर्गिक सौन्दर्य से भरपूर—पचमढ़ी, संगमरमरी चट्टानें, सतपुड़ा, विन्ध्याचल पर्वतमालायें, ऐतिहासिक एवं पुरातात्वीक महत्व के ग्वालियर, माण्डू, ओरछा, विश्व धरोहरें—साँची, भीमबैठका, खजुराहो, राष्ट्रीय वनोद्यान—कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच जैसे अद्वितीय आकर्षण उपलब्ध हैं। पर्यटन किसी भी राष्ट्र की न केवल आर्थिक एवं सामुदायिक प्रगति का महत्वपूर्ण अंग है, वरन् किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में पर्यटन के माध्यम से सर्वाधिक रोज़गार के अवसर निर्मित होते हैं।

पर्यटन केन्द्रों/परिपथों के विकास तथा बेहतर प्रचार—प्रसार के कारण प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहायता से विभिन्न पर्यटन स्थलों में लाईट एण्ड साउण्ड शो स्थापित किया जाकर उनके चालन किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लाईट एण्ड साउण्ड शो के चालन एवं रख—रखाव के लिए केन्द्र/राज्य शासन से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है इससे निगम को आर्थिक कठिनाई होती है। इस उद्येश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 में राशि रूपए 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना सम्मिलित नहीं है एवं उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 में नवीन मद के रूप में सामान्य योजनान्तर्गत राशि रू 100.00 लाख की योजना सीमा अनुमोदित है।